न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री सूर्यकान्त शर्मा (आर.ए.एस.)

मु.न.–100../2024

सफी खांन पुत्र कमरदीन जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू।

– प्रार्थी –

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) तारानगर।

– अप्रार्थी –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवनयू एक्ट व धारा 88 आर.टी.एक्ट.

दिनांक 28/6/24

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मय शपथ पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी के नाम कृषि भूमि रोही मौजा साहवा के खसरा सं. 654/625 तादादी 4.0338 हेक्ट., खसरा नं. 655 तादादी 1.7703 हैक्ट खसरा नं. 661 तादादी 10.6597 हैक्टयर, कुल तादादी 6.5628 हैक्ट. हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम सफी मोहम्मद अंकित है जो गलत है, जबकि प्रार्थी का सफी खान सही हैं। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम सफी खान है। नाम में भिन्नता होने के कारण प्रार्थी को कृषि ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अब प्रार्थी जमाबन्दी में अपना नाम दुरूस्त करवाना चाहता है। जमाबन्दी में अपना नाम दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थी ने तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था। परन्तु तहसीलदार ने बिना किसी न्यायालय के आदेश के नाम दुरूस्त करने से इंकार कर दिया। इसलिए श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना प्रत्र पेश कर रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कृषि भूमि रोही मौजा साहवा के खसरा सं. 654 तादादी 4.0338 हेक्ट., खसरा नं. 655 तादादी 1.7703 हैक्ट खसरा नं. 661 तादादी 10.6597 हैक्टयर, कुल तादादी 6.5628 हैक्ट. में प्रार्थी का नाम सफी खान किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार तारानगर के समक्ष दियें प्रार्थना पत्र में आई प्राप्त रिपोर्ट नायब तहसीलदार साहवा के अनुसार प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाना चाहता है। अब प्रार्थी अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड, शपथ पत्र व अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी अपना नाम सफी मोहम्मद की जगह सफी खान करवाना चाहता है। आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सफी मोहम्मद ही दर्ज है। अतः प्रार्थी सफी मोहम्मद की जगह सफी खान दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना उचित होगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। नायब तहसीलदार साहवा की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड, पहचान पत्र से वादी का दस्तावेजीय नाम हडमाना राम पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा साहवा के खसरा सं. 654 तादादी 4.0338 हेक्ट., खसरा नं. 655 तादादी 1.7703 हैक्ट खसरा नं. 661 तादादी 10.6597 हैक्टयर, कुल तादादी 6.5628 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टि **सफी मोहम्मद** Delete कर इसके स्थान पर **सफी खान** अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर/नायब तहसीलदार साहवा को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। इस विचार न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय निर्णय है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/6/24........ को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

(सूर्यकान्त शर्मा आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर(चूरू)